केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली - 110032

सं.सी-27013/01/2016 -हिन्दी 1324 दिनांक: 29.06.2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 85वीं बैठक के कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 85वीं बैठक अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 19.06.2018 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

इस संदर्भ में सभी सदस्यों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(शीतल प्रसाद) 29/06/18

प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

सेवा में,

....

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली -110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद,एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली- 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करें।

(शीतल प्रसाद) 29/06/18

प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.)

केन्द्रीय बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19.06.2018 को आयोजित 85वीं बैठक के कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 85वीं बैठक दिनांक 19.06.2018 को पूर्वाह्न 3.00 बजे अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में परिवेश भवन के द्वितीय तल पर स्थित सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक की पूर्व सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपनिदेशक (राजभाषा) एवं केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली और महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, सरोजनी नगर, नई दिल्ली को भेज दी गयी थी। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध के रूप में इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है।

श्री शीतल प्रसाद, प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय का हार्दिक अभिनंदन किया और इसी के साथ-साथ बैठक में उपस्थित सदस्य सचिव महोदय का भी स्वागत किया। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति मांगी जिसके फलस्वरूप अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति प्रदान की। तत्पश्चात बैठक की कार्यसूची के अनुसार मदवार चर्चा शुरू की गई:

मद सं. 01: पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) ने समिति को अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं संबंधितों को उनकी टिप्पणी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु परिचालित किए गए थे। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। अत: प्रस्ताव किया गया कि विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली जाए। फलस्वरूप प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) की अनुशंसा पर और सभी सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

मद सं. 02: पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) द्वारा समिति को यह अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों को सुधारने हेतु सभी प्रभाग प्रभारियों से यथा संभव

प्रयास करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस संबंध में अधिकांश प्रभागों से दस्तावेज, पत्र आदि प्राप्त हुए जिनका अनुवाद हिन्दी अनुभाग उपलब्ध करा दिया गया था। इसके साथ ही पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 धारा 5 के अंतर्गत सभी निर्देशों के प्रारूप हिन्दी में तैयार करने के संबंध में एक परिपत्र जारी किया गया था जिसका उद्देश्य औद्योगिक इकाईयों को बंद करने या इकाईयों को खोलने संबंधी निर्देश हिन्दी भाषा में जारी करना था।

हिन्दी अनुभाग ने स्वप्रयास से एक लघु श्रृंखला 'गंगा नदी की जल गुणवत्ता में जैविक सूचक' का हिन्दी अनुवाद कार्य पूर्ण कर लिया था और इसे प्रकाशन हेतु प्रकाशन प्रभाग को अग्रेषित किया गया है।

मद सं. 3: गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) समिति को गत तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया गया, जिसमें सभी मदों के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि रिपोर्ट के लगभग सभी मदों के आंकड़े संतोषजनक है किंतु पत्राचार का प्रतिशत अभी भी राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य से कम है। राजभाषा के पत्राचार की स्थिति को जानकर अध्यक्ष महोदय ने प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) को निर्देश दिया कि केन्द्रीय बोर्ड के सभी प्रभागों के हिन्दी पत्राचार की स्थिति की जानकारी एकत्र करें एवं आगामी बैठक में विभागवार हिन्दी पत्राचार स्थिति प्रस्तुत करें।

तत्पश्चात समिति को अवगत कराया गया कि गत तिमाही में केन्द्रीय बोर्ड के 25 कर्मचारियों के लिए 01 पूर्ण दिवसीय हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

- अनुवर्ती कार्यवाही- हिन्दी अनुभाग

मद सं.4: वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन

उक्त विषय के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि सभी प्रभाग प्रभारियों को संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 का वितरण कर दिया गया है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी प्रभाग प्रभारियों का सहयोग वांछनीय

है। इसके साथ ही प्रशासन अधिकारी (राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि केन्द्रीय बोर्ड की हिन्दी में कोई गृह पत्रिका नहीं है। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रभाग प्रभारियों को निर्देश दिया कि सभी प्रभागों द्वारा किए जाने वाले तकनीकी कार्यों एवं उपलब्धियों को लेखों का रूप देकर हिन्दी अनुभाग को अग्रेषित करें ताकि लेखों को संकलित कर गृह पत्रिका का स्वरूप दिया जा सके।

- अनुवर्ती कार्यवाही- सभी प्रभाग एवं हिन्दी अनुभाग

मद सं. 5 : बाह्य स्रोत एजेंसी से क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद करवाने के संबंध में।

प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) ने समिति को अवगत कराया कि हिन्दी प्रभाग को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तमिल, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, मलयालम आदि का अनुवाद बाहय स्रोत एजेंसी से करवाने हेतु निर्देश प्राप्त होते हैं और अधिकांशत: शिकायतें केवल प्रदूषण से संबंधित न होकर सामान्य समस्याओं से संबंधित होती है। उक्त शिकायतों का अंग्रेजी अनुवाद उचित कार्यवाही हेतु संबंधित प्रभाग को अग्रेषित किया जाता है किन्तु बिलों के सत्यापन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में सदस्य सचिव महोदय ने प्रशासनिक अधिकारी (रा.भा.) को निर्देश दिया कि वह बाहय स्रोत एजेंसी से प्राप्त बिलों का सत्यापन हिन्दी प्रभाग स्वंय करें।

- अनुवर्ती कार्यवाही- हिन्दी अनुभाग

मद सं.6 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों (टंकण, आशुलिपिक) में नामित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषय पर प्रशासन अधिकारी (रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी प्रशिक्षण हेतु आशुलिपिक, टंकक, सहायक आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संबंध में, अध्यक्ष महोदय ने प्रशासन अधिकारी (रा.भा.) से प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण स्थल एवं प्रशिक्षण की अनिवार्यता के विषय में पूछा। अध्यक्ष महोदय ने प्रशिक्षण हेतु नामित कर्मचारियों के संबंधित प्रभारियों को निर्देश दिया कि वे अगस्त माह में आरम्भ होने वाली प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए नामित किये गये नौ (9) कर्मचारियों को उक्त प्रशिक्षण हेतु भेजना सुनिश्चित करें।

40 (iv)

- **अनुवर्ती कार्यवाही- हिन्दी अनुभाग एवं संबंधित प्रभाग**

मद सं.7: सहायक निदेशक (रा.भा.) के पद हेतु दिए गए विज्ञापन के संबंध में।

प्रशासन अधिकारी (रा.भा.) ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि भर्ती अनुभाग द्वारा सहायक निदेशक (रा.भा.) पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया है जिसके अंतर्गत वेतनमान एवं वेतन स्तर-7 दिया गया है, जो 6वें वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे 4600/- पर निर्धारित किया गया है जबकि सहायक निदेशक (रा.भा.) का 7वें वेतन के अनुसार वेतन लेवल-10 होना चाहिए था। चूँकि हाल ही में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की भर्ती की गई है। उक्त पद का वेतन स्तर भी 7 है, जबकि सहायक निदेशक (रा.भा.) का पद पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) स्तर का है, जो 10वें स्तर का है। दोनों पदों का वेतन स्तर बराबर होने पर कार्य निष्पादन में समस्या उत्पन्न होने की संभावना होगी जो कि कार्यालय के हित में नहीं है। अत: उक्त विसंगति को दूर किये जाने का अनुरोध है। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने लेखा अनुभाग एवं भर्ती अनुभाग को निर्देश दिया कि वे सहायक निदेशक (रा.भा.) के वेतनमान पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

- **अनुवर्ती कार्यवाही- लेखा एवं भर्ती अनुभाग**

मद सं.8 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति के सदस्यों से कार्य निष्पादन में आ रही दिक्कतों से संबंधित सुझाव प्राप्त नहीं हुआ अत: इस पर कोई चर्चा नहीं हुई।

अंत में अध्यक्ष महोदय के साथ-साथ सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

****